11

5 रु Rs 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु Rs 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

2 / 10.90

51 / 23/2/19

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर लखनऊ

1- प्रमाणित प्रति आदेश दिनांक 23-02-2019 संलग्न।

2- प्रतीक्षोपरान्त पत्रावली निरस्त किया जाता।

उपजिलाधिकारी / मजिस्ट्रेट (सदर) ... लखनऊ

Scanned by Scanner Go

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :लखनऊ,तहसील :लखनऊ
वाद संख्या :-01823/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910460201823
किंग केयर फाउण्डेशन बनाम उ०प्र० सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही किंग केयर फाउण्डेशन, पजीकृत कार्यालय-25 मुगलान मोहल्ला काकोरी, लखनऊ द्वारा सचिव शहनवाज कदर खान पुत्र कदर अहमद खान निवासी-25 मुगलान मोहल्ला काकोरी, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना- पत्र में यह अभिलिखित है कि प्रार्थी भूमि गाटा संख्या 2544/2, रकबा 0.0758हे0 व भूमि गाटा संख्या 2529 रकबा 0.7420हे0 दो किता कुल रकबा0.8178हे0 स्थित ग्राम व परगना काकोरी तहसील व जिला लखनऊ का मालिक,कामिल व स्वामी है जो राजस्व अभिलेखों में बतौर सकमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है जिसपर कमरों का निर्माण है तथा बाउण्ड्रीवाल कराकरर आवासीय/व्यवसायिक रूप में उपयोग, उपभोग किया जा रहा है। अर्थात उपरोक्त वर्णित भूमि पूर्णतया अकृषिक है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर बागवानी, कुक्कुट पालन, आदि कृषि कार्य नही हो रहा है और भविष्य मे भी उक्त वर्णित भूमि पर कृषिक कार्य नही किया जायेगा। उक्त भूमि के आस-पास प्लाटिंग हो गयी है तथा काफी मकानात आदि बने हुए है तथा उक्त भूमि पूर्ण रूप से आवासीय/व्यवसयिक है। उक्त भूमि हर प्रकार के भारों विवादों से पूर्णतया बरी व पाक साफ है जो कि कही रेहन, बय, हिबा आदि नही है तथा उक्त भूमि के बावत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही हैं ना ही किसी योजना में अधिगृहित है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सदर लखनऊ की आख्या दिनांक 08.01.2019 के अनुसार ग्राम व परगना काकोरी तहसील व जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष-1424-1425 के खाता संख्या- 202 पर गाटा संख्या 2529 रकबा 0.742हे व खाता संख्या-203 पर गाटा संख्या-2544/2 रकबा 0.0758हे0 कुल दो किता रकबा 0.8178हे0 भूमि किंग केयर फाउण्डेशन, पंजीकृत कार्यालय-25 मुगलान मोहल्ला काकोरी, लखनऊ द्वारा सचिव शहनवाज कदर खान पुत्र कदर अहमद खान निवासी-25 मुगलान मोहल्ला काकोरी के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है उक्त भूमि वर्तमान समय में कृषि मत्स्य पालन, बागवानी, कुक्कुट पालन आदि नही किया जा रहा हैं आवेदक द्वारा उक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। अतः उक्त भूनि गाटा संख्या 2529/0.742हे व गाटा संख्या 2544/2/0.0758 कुल 2 किता रकबा 0.8178हे0 भूमि (अकृषिक) घोषित किये

Scanned by Scanner Go

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :लखनऊ,तहसील :लखनऊ
वाद सख्या :-01823/2019
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201910460201823
किंग केयर फ़ाउण्डेशन बनाम उ०प्र० सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

जाने हेतु आख्या सस्तुति सहित सेवा मे सादर प्रेषित है।

वादी द्वारा अपने साक्ष्य में ग्राम काकोरी, परगना काकोरी, तहसील व जिला लखनऊ की खसरा 1359फ0 खसरा 1425फ0 से 1426फ0 के खसरे की प्रमाणित प्रति सलग्न की गई है वादी द्वारा मौके का फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया है व उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 व नियम 85 (2) के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान सख्या ए0एम0–64506 दिनाक 22.01.2019 को रु0 94,047/–(चौरान्नवे हजार शैतालिश रुपये मात्र) जमा किया गया है, तथा रू0 रु0 94,100/–(चौरान्नवे हजार एक सौ रुपये मात्र) कोर्ट फीस भी अदा की गई है। जो संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार सदर लखनऊ की उक्त आख्या दिनाक 08.01.2019 से संतुष्ट होने के पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर लखनऊ विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी को नोटिस जारी की गयी, जो वाद तामील पत्रावली पर संलग्न है। लखनऊ विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई जवाब/आपत्ति कार्यालय को प्राप्त नही हुई।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार, सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया, तथा पत्रावली पर रक्षित साक्ष्यो का गहनता से परीक्षण किया गया तथा नायब तहसीलदार काकोरी द्वारा मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण कर। फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया है जो संलग्न है। तहसीलदार सदर की आख्या दिनाक 08.01.2019 के अनुसार ग्राम व परगना काकोरी तहसील व जिला लखनऊ की खतौनी वर्ष–1424–1425 के खाता संख्या–202 पर गाटा सख्या 2529 रकबा 0.742हे व खाता सख्या संख्या–203 पर गाटा सख्या–2544/2 रकबा 0.0758हे0 कुल दो किता रकबा 0.8178हे0 भूमि किंग केयर फाउण्डेशन, पंजीकृत कार्यालय–25 मुगलान मोहल्ला काकोरी, लखनऊ द्वारा सचिव शहनवाज कदर खान पुत्र कदर अहमद खान निवासी–25 मुगलान मोहल्ला काकोरी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है उक्त भूमि वर्तमान समय मे कृषि मत्स्य पालन, बागवानी, कुक्कुट पालन आदि नही किया जा रहा है आवेदक द्वारा उक्त भूमि अकृषिक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है। अत उक्त भूमि गाटा सख्या 2529/0.742हे व गाटा सख्या 2544/2/0.0758 कुल 2 किता रकबा 0.8178हे0 भूमि (अकृषिक) घोषित किये जाने हेतु आख्या सस्तुति सहित सेवा मे सादर प्रेषित है। प्रार्थी द्वारा वादीय भूमि का छाया चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में उपरोक्त विवेचना से पूर्णत संतुष्ट होने के पश्चात उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषिक होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

Scanned by Scanner Go

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :लखनऊ,तहसील :लखनऊ
वाद संख्या :-01823/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201910460201823
किंग केयर फाउण्डेशन बनाम उ०प्र० सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 08.01.2019 की पुष्टि की जाती है। तदनुसार ग्राम काकोरी, परगना काकोरी, परगना व तहसील व जिला लखनऊ की खाता संख्या 202 गाटा संख्या 2529 रकबा 0.7420हे0 व खाता संख्या 203 रकबा 2544/2 रकबा 0.234हे0 मे से 0.0758हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.8178हे0 भूमि जो किंग केयर फाउण्डेशन, पंजीकृत कार्यालय–25 मुगलान मोहल्ला काकोरी, लखनऊ द्वारा सचिव शहनवाज कदर खान पुत्र कदर अहमद खान निवासी–25 मुगलान मोहल्ला काकोरी, लखनऊ के नाम दर्ज है, को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना–2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा–82 उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल–दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक, लखनऊ को भेजी जाय बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(निधि गुप्ता वत्स)
उप जिलाधिकारी/ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट,
सदर, लखनऊ

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 23/02/2019 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(निधि गुप्ता वत्स)
उप जिलाधिकारी/ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट,
सदर, लखनऊ

...प्रार्थना-पत्र देने की तिथि: 25-02-19
...तैयार करने की तिथि: 23-02-19
...जारी करने की तिथि: 23-02-19
...शुल्क: 10.00
...

सत्य प्रतिलिपि

Scanned by Scanner Go